2026:CGHC:3441

अप्रतिवेद्य

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक–2039/2024

- हर्षद गुप्ता पिता–भागीरथी गुप्ता, उम्र–लगभग 24 वर्ष, पेशा–नौकरी, निवासी–ग्राम बागबहरा, थाना–बागबहरा, जिला–महासमुंद, छत्तीसगढ़

-----अपीलार्थी/अभियुक्त

विरूद्ध

- छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना प्रभारी, पुलिस थाना–बागबहरा, जिला–महासमुंद, छत्तीसगढ़

-----उत्तरवादी/राज्य

अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा	:	सुश्री हमीदा सिद्दीकी, अधिवक्ता सहित सुश्री महिमा चन्द्रा, अधिवक्ता ।
उत्तरवादी/राज्य द्वारा	:	श्री करण बहरानी, पैनल अधिवक्ता ।

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार जायसवाल, न्यायाधीश

!! निर्णय पीठ पर पारित !!

20/01/2026

1. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा–415 (3) के तहत प्रस्तुत इस दाण्डिक अपील में विचारण न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, कुनकुरी, जिला–जशपुर,

छत्तीसगढ़ द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक–72/2013 "छत्तीसगढ़ राज्य **विरूद्ध** हर्षद गुप्ता" में पारित **दोषसिद्धि** दिनांक–30/04/2015 **एवं** अपर सत्र न्यायाधीश, पत्थलगांव, जिला–जशपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक–01/2019 "छत्तीसगढ़ राज्य **विरूद्ध** हर्षद गुप्ता" में पारित **दण्डादेश** दिनांक–04/11/2024 को चुनौती दी गई है। जिसके तहत अपीलार्थी को निम्नानुसार दोषसिद्ध कर दण्डित किया गया है। जिसे आगे संक्षेप में "प्रश्नाधीन निर्णय" से संबोधित किया जा रहा हैः–

दोषसिद्धि	दण्डादेश
धारा–376 भारतीय दण्ड संहिता, 1860	07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000/–रूपये का अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड राशि अदा न करने की दशा में 01 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा।
धारा–506 भारतीय दण्ड संहिता, 1860	01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,000/–रूपये का अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड राशि अदा न करने की दशा में 03 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा।
दोनों मूल सजाएं साथ–साथ चलेंगी।	

2. अभियोजन मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि अभियोक्त्री (अ.सा.–3), जो ग्राम बागबहरा, जिला–महासमुंद की निवासी है, ने वर्ष 2013 में अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), पत्थलगांव, जिला–जशपुर (छत्तीसगढ़) के समक्ष प्रदर्श पी–3 के माध्यम से एक लिखित शिकायत प्रस्तुत की। उक्त शिकायत में यह आरोप लगाया गया कि उसके ग्राम का निवासी अभियुक्त हर्षद गुप्ता विगत लगभग पाँच वर्षों से उसे विवाह का झांसा देकर उसके

साथ दैहिक शोषण करता रहा । जब अभियोक्त्री ने अभियुक्त से विवाह करने के लिए कहा, तो अभियुक्त ने विवाह करने से इंकार कर दिया । इसके पश्चात, जब अभियोक्त्री ने विवाह हेतु दबाव बनाया, तो अभियुक्त एवं उसके परिजनों द्वारा उसे विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित किया जाने लगा तथा थाना में रिपोर्ट करने की धमकी दी जाने लगी । अभियुक्त के पिता ने अभियोक्त्री को जबरन उठाकर ले जाने तथा जान से मारने की धमकी दी, साथ ही आपसी समझौता कराने के उद्देश्य से 06–07 लाख रुपये नगद तथा सोना–चाँदी देने का प्रलोभन दिया । अभियुक्त द्वारा फोन पर यह धमकी भी दी गई कि वह अभियोक्त्री की आपत्तिजनक फोटो एवं वीडियो प्रसारित कर देगा तथा उसे एवं उसकी बहनों को बदनाम कर देगा, जिससे अभियोक्त्री को मानसिक रूप से अत्यधिक प्रताड़ना सहनी पड़ी । अभियुक्त एवं अभियोक्त्री के प्रेम संबंध की जानकारी अन्य चार व्यक्तियों को भी थी । उक्त लिखित शिकायत के आधार पर थाना पत्थलगांव में दिनांक 28/05/2013 को प्रदर्श पी–5 के तहत प्रथम सूचना पत्र पंजीबद्ध किया गया । विवेचना के दौरान अभियोक्त्री (अ.सा.–3) का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया तथा तैयार स्लाइड को रासायनिक परीक्षण हेतु भेजा गया । घटनास्थल का नक्शा तैयार किया गया । अभियोक्त्री का कथन धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दर्ज कराया गया । अभियोक्त्री की जन्म–तिथि के प्रमाणन हेतु संबंधित दस्तावेज जब्त किए गए, साक्षियों के कथन लिए गए तथा संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग–पत्र प्रस्तुत किया गया ।

3. विचारण के दौरान आरोप के प्रमाणन हेतु अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में कुल 12 साक्षियों का परीक्षण कराया गया तथा 15 दस्तावेज प्रदर्शित चिन्हांकित कराए गए । धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कथन में अभियुक्त ने अपने विपरीत साक्ष्य से इंकार करते हुए कहा है कि वह गांव का एक नौकरीपेशा नवयुवक है तथा अंतरजातीय विवाह

करने हेतु उस पर जबरन दबाव बनाने के उद्देश्य से, उसे इस प्रकरण में झूठा फँसाया गया है जबकि वह निर्दोष है । उसकी ओर से बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया । तत्पश्चात उभयपक्ष को सुना जाकर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को इस निर्णय की कण्डिका–1 के अनुसार दोषसिद्ध कर दण्डित किया गया है । जिसे इस अपील में चुनौती दी गई है ।

4. अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियोक्त्री (अ.सा.–3) द्वारा दिनांक 28/08/2008 की जो घटना बताई गई है, उसका स्पष्ट विवरण उसकी लिखित शिकायत प्रदर्श पी–3 में नहीं है । उसके न्यायालयीन बयान, धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दर्ज बयान तथा लिखित शिकायत के मध्य गंभीर विरोधाभास की स्थिति है । घटना दिनांक 28/08/2008 की बताई गई है, जबकि पुलिस में शिकायत वर्ष 2013 में की गई है । इस प्रकार, लगभग 05 वर्ष के विलंब का कोई कारण स्पष्ट नहीं किया गया है । अभियोक्त्री एक सहमत पक्ष रही है तथा जिस प्रकार से उसने विलंब का कारण, धमकी एवं भय बताया है, उसके न्यायालयीन बयान के अनुसार कथित हथियार अथवा फोटो/वीडियो आदि की जब्ती अभियोजन द्वारा नहीं की गई है । इस प्रकार अभियोक्त्री का कथन पूर्णतः संदेहास्पद है । उसे विश्वसनीय मानते हुए विचारण न्यायालय द्वारा की गई दोषसिद्धि विधि के प्रकाश में स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । अतः अपील स्वीकार की जाए तथा प्रश्नाधीन दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के निर्णय को अपास्त करते हुए अपीलार्थी/अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाए ।

5. उत्तरवादी/राज्य पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने इस अपील का विरोध करते हुए तर्क किया है कि अभियोजन साक्षियों ने पूर्ण रूप से अभियोजन मामले का समर्थन

किया है जिसपर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है। विचारण न्यायालय का "प्रश्नाधीन निर्णय" साक्ष्य की उचित समीक्षा पर आधारित है। अभियोजन ने अपीलार्थी के विरूद्ध अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया है। अपीलार्थी पक्ष द्वारा अपील में उठाये गये तर्क स्वीकार योग्य नहीं है। अतः अपील खारिज किया जाये।

6. उभयपक्ष का तर्क सुना गया और अभिलेख का सूक्ष्मतापूर्वक परिशीलन किया गया।

7. यह स्थिति स्पष्ट है कि अभियुक्त का कोई चिकित्सीय परीक्षण नहीं कराया गया है तथा उसकी ओर से अपने कथन के समर्थन में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इन परिस्थितियों के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया है कि अभियुक्त का यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है कि वह शारीरिक संबंध स्थापित करने में सक्षम नहीं था।

8. जहाँ तक, अभियोक्त्री (अ.सा.-3) के चिकित्सीय साक्ष्य का प्रश्न है? इस संबंध में चिकित्सक अनिता मिंज (अ.सा.-4) द्वारा यह बताया गया है कि अभियोक्त्री का चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 28/05/2013 को किया गया, जिसमें तात्कालिक संभोग के कोई लक्षण नहीं पाए गए। चूँकि कथित घटना लगभग 05 वर्ष पूर्व की बताई गई है, ऐसी स्थिति में उक्त चिकित्सीय साक्ष्य से भी अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन के मामले को कोई समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

9. संपूर्ण मामले को दृष्टिगत रखते हुए यह स्थिति स्पष्ट होती है कि कथित घटना के समय अभियुक्त अथवा अभियोक्त्री (अ.सा.-3) के नाबालिग होने के संबंध में न तो कोई साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध है और न ही इस संबंध में कोई आरोप तय किया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अभियोक्त्री एक वयस्क महिला थी। साथ ही, जब कथित घटना

की शिकायत लगभग 05 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई है, तब संपूर्ण साक्ष्य के प्रकाश में अभियोक्त्री की विश्वसनीयता ही निराकरण की प्रमुख विषय–वस्तु है।

10. न्यायदृष्टांत **Santosh Prasad @ Santosh Kumar v. State of Bihar, (2020) 3 SCC 443** में उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि बलात्कार के अपराध में एकमात्र पीड़िता के कथन पर भी दोषसिद्धि की जा सकती है किन्तु यह तब होना चाहिए जब पीड़िता का बयान विश्वास पैदा करें तथा पूरी तरह से विश्वसनीय, बेदाग और उत्कृष्ट गुणवत्ता का प्रतीत हो, जो कि निम्नानुसार अवधारित किया गया है:–

> "**5.4.3.** In *Krishan Kumar Malik v. State of Haryana (2011) 7 SCC 130* it is observed and held by this Court that no doubt, it is true that to hold an accused guilty for commission of an offence of rape, the solitary evidence of the prosecutrix is sufficient provided the same inspires confidence and appears to be absolutely trustworthy, unblemished and should be of sterling quality.
>
> **5.5** With the aforesaid decisions in mind, it is required to be considered, whether is it safe to convict the accused solely on the solitary evidence of the prosecutrix? Whether the evidence of the prosecutrix inspires confidence and appears to be absolutely trustworthy, unblemished and is of sterling quality?"
>
> **6.** Having gone through and considered the deposition of the prosecutrix, we find that there are material contradictions. Not only there are material contradictions, but even the manner in which the alleged incident has taken place as per the version of the prosecutrix is not believable. In the examination-in-chief, the prosecutrix has stated that after jumping the fallen compound wall accused came inside and thereafter the accused committed rape. She has stated that she identified the accused from the light of the mobile. However, no mobile is recovered. Even nothing is on record that there was a broken compound wall. She has further stated that in the morning at 10 O'clock she went to the police station

> and gave oral complaint. However, according to the investigating officer a written complaint was given. It is also required to be noted that even the FIR is registered at 4:00 p.m. In her deposition, the prosecutrix has referred to the name of Shanti Devi, PW1 and others. However, Shanti Devi has not supported the case of the prosecution. Therefore, when we tested the version of PW5-prosecutrix, it is unfortunate that the said witness has failed to pass any of the tests of "sterling witness". There is a variation in her version about giving the complaint. There is a delay in the FIR. The medical report does not support the case of the prosecution. FSL report also does not support the case of the prosecution. As admitted, there was an enmity/dispute between both the parties with respect to land. The manner in which the occurrence is stated to have occurred is not believable. Therefore, in the facts and circumstances of the case, we find that the solitary version of the prosecutrix-PW5 cannot be taken as a gospel truth at face value and in the absence of any other supporting evidence, there is no scope to sustain the conviction and sentence imposed on the appellant and accused is to be given the benefit of doubt."

11. उपरोक्त न्यायदृष्टांत के प्रकाश में अभियोक्त्री (अ.सा.–3) के बयान का परिशीलन करने से यह स्थिति स्पष्ट होती है कि उसने अपने मुख्य परीक्षण में यह कहा है कि कथित घटना दिनांक 28/08/2008 को वह अपने माता–पिता के साथ घर पर थी। उसी दिन सायं लगभग 07.00 बजे अभियुक्त का फोन आया, जिसमें अभियुक्त ने यह कहा कि उसके मौसेरे भाइयों द्वारा कोतबा से उसके लिए सामान भेजा गया है तथा स्वयं अभियुक्त का वाहन बांधाखार में खराब हो जाने के कारण वह उक्त सामान लेने आ जाए। अभियोक्त्री के अनुसार, वह सामान लेने अभियुक्त के पास मोटरसाइकिल में गई, जहाँ अभियुक्त ने उसका मुँह बंद कर, जान से मारने की धमकी देते हुए तथा हथियार दिखाकर भयभीत करते हुए उसके साथ बलात्कार किया। उसने यह भी कहा कि जब वह रो रही थी, तब अभियुक्त ने उससे विवाह कर लेने की बात कही तथा यह धमकी दी कि यदि उसने घटना की जानकारी

किसी को दी, तो वह उसे जान से मार देगा । अभियोक्त्री ने यह भी कहा है कि जब–जब अभियुक्त उससे मिलता था, वह उसे धमकाता था और कहता था कि उसने, उसकी वीडियो बना ली है, जिसे वह प्रसारित कर देगा, तथा इन्हीं धमकियों के आधार पर अभियुक्त ने उसके साथ कई बार बलात्कार किया । अभियोक्त्री ने यह भी कहा है कि जब उसने अभियुक्त से विवाह करने की बात कही, तो अभियुक्त ने यह कहकर इंकार कर दिया कि वह उससे विवाह नहीं कर सकता ।

12. अभियोक्त्री (अ.सा.–3) ने यह भी कहा है कि अभियुक्त गुप्ता समाज से संबंधित है, जबकि वह बेहरा समाज की है । प्रतिपरीक्षण में अभियोक्त्री ने यह स्वीकार किया है कि दिनांक 28/08/2008 की कथित घटना के समय उसके शरीर पर कोई भी चोट नहीं आई थी । उसने अपने परिजनों को उक्त घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी थी । कथित घटनास्थल पर अंधेरा था । वह जिन कपड़ों में घटनास्थल पर गई थी, उन्हें बदलकर वह सो गई थी । उसने यह भी स्वीकार किया है कि जब वह घटनास्थल से वापस आ रही थी, तब उसे कई व्यक्तियों ने देखा था, किंतु उसने घटना के संबंध में किसी को भी कुछ नहीं बताया । उसने यह भी कहा है कि दिनांक 28/08/2008 के पश्चात अभियुक्त द्वारा उसके साथ कब–कब शारीरिक संबंध स्थापित किए गए, उसकी तिथियाँ उसे स्मरण नहीं हैं । उसने यह भी कहा है कि एक अवसर पर, माह दिसम्बर 2012 में, जब वह घर पर अकेली थी, तब अभियुक्त उसके घर आया और उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया । अभियोक्त्री ने यह भी स्वीकार किया है कि पहली बार की कथित घटना के समय विवाह का कोई झांसा नहीं दिया गया था । उसे यह भी ज्ञात था कि अभियुक्त और वह दोनों भिन्न–भिन्न जाति समुदाय से संबंधित हैं तथा उनके मध्य सामाजिक रूप से विवाह संभव नहीं है । उसने यह भी स्वीकार किया है कि जब अभियुक्त को नौकरी प्राप्त हो गई और

अभियुक्त द्वारा किसी अन्य लड़की से विवाह करने की बात कही गई, तब उसने अभियुक्त से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की थी । अभियुक्त की नौकरी लगने से पूर्व उसने कभी भी अपने परिजनों के समक्ष अभियुक्त से विवाह करने की इच्छा व्यक्त नहीं की थी । उसने यह भी स्वीकार किया है कि वर्ष 2013 के माह अप्रैल में दोनों पक्षों के परिजनों के मध्य एक बैठक हुई थी, जिसमें दोनों के विवाह की सहमति के संबंध में बातचीत की गई थी ।

13. इस प्रकार, अभियोक्त्री (अ.सा.–3) के कथन से यह स्थिति स्पष्ट होती है कि वह लगभग 05 वर्षों तक अभियुक्त के साथ प्रेम संबंध में रही तथा इस दौरान उनके मध्य शारीरिक संबंध स्थापित होते रहे । उक्त अवधि में न तो अभियोक्त्री द्वारा कहीं कोई शिकायत की गई और न ही उसने इस संबंध में अपने परिजनों को कोई सूचना दी । मामले में जिस प्रकार अभियुक्त द्वारा धमकी देने एवं भय उत्पन्न करने का आरोप लगाया गया है, उस संबंध में न तो किसी कथित हथियार की जब्ती की गई है और न ही किसी कथित वीडियो की जब्ती की गई है । साथ ही, यह भी परिलक्षित होता है कि लगभग 05 वर्ष पश्चात, जब दोनों पक्षों के मध्य विवाह के विषय पर बैठक हुई तथा अभियुक्त द्वारा विवाह से इंकार किया गया, तब अभियोक्त्री द्वारा लिखित शिकायत प्रस्तुत की गई ।

14. इन समस्त परिस्थितियों में यह पाया जाता है कि अभियोक्त्री, जो एक वयस्क महिला है, वह सहमत पक्ष रही है । संपूर्ण साक्ष्य विवेचना के आधार पर यह न्यायालय पाती है कि अभियोक्त्री (अ.सा.–1) का कथन संदेह से परे विश्वसनीय नहीं है । परिणामस्वरूप, अभियुक्त की दोषसिद्धि एवं दण्डादेश का निर्णय विधि के प्रकाश में स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

15. अतः अपील **स्वीकार** की जाती है। "प्रश्नाधीन दोषसिद्धि व दण्डादेश" का निर्णय अपास्त किया जाता है तथा अपीलार्थी को संदेह का लाभ देते हुए आरोपित अपराध से **दोषमुक्त** किया जाता है।

16. अपीलार्थी हर्षद गुप्ता को जमानत पर बताया गया है। दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा–437 (क) के तहत उसका जमानत–मुचलका और 06 माह के लिए प्रभावशील रहेगा तत्पश्चात् अन्य न्यायालय में उपस्थित होने की आवश्यकता ना रहने पर मुक्त समझा जायेगा।

17. निर्णय की प्रति के साथ विचारण न्यायालय को मूल अभिलेख आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ एवं पालनार्थ शीघ्रतापूर्वक वापस प्रेषित हो।

सही/–
(संजय कुमार जायसवाल)
न्यायाधीश

पोमन